Monad University Hapur

Faculty of Law
Subject - Legal education and Research methodology
Topic – Legal education and
Sub topic – कानूनी शिक्षा

कानूनी शिक्षा

1 प्रस्तावना

भारत के विधि आयोग ने विधिक शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है जो कि छात्रों को कानूनी सिद्धांतों और कानून के प्रावधानों का ज्ञान प्रदान करती है ताकि छात्रों कानूनी पेशे में प्रवेश करने में सक्षम बनाया जा सके।विधिक शिक्षा वह है जो विधि से संबंध रखती हो अर्थात विधि की शिक्षा ही विधिक शिक्षा है। कानून, विधिक शिक्षा और विधि का विकास आधुनिक व विकासशील देशों में अंतर- संबंधित अवधारणा बन गए हैं। कानूनी शिक्षा का मुख्य कार्य सामाजिक दृष्टि से वकीलों को तैयार करना है। हालांकि, आधुनिक समय में कानूनी शिक्षा को न केवल वकीलों की कौशल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, वरन इसे सामाजिक ढांचे की सुदृढ़ता के लिए एक कानूनी साधन माना जाना चाहिएविधिक शिक्षा वह है जो विधि से संबंध रखती हो अर्थात विधि की शिक्षा ही विधिक शिक्षा है ।

विधि हर समाज की नींव होती है और विधि नागरिकों, वकीलों, शिक्षाविदों और न्यायाधीशों का विकास करके समाज को व्यवस्थित रखती है

ऐतिहासिक रूप से, कानूनी शिक्षा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। पहले जहां राजकुमारों को धर्म और न्याय के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तथा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी कानूनी शिक्षा अस्तित्व में थी क्योंकि हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी कानूनी पृष्ठभूमि से रहे हैं। वर्तमान में अब पारंपरिक विश्वविद्यालयों में त्रिवर्षीय व पंचवर्षीय अवधि के लिए लॉ कोर्स की शिक्षा दी जाती है।

2. कानूनी शिक्षा का उद्देश्य

कानूनी शिक्षा न केवल वकीलों का सर्जन करने वाली होनी चाहिए, बल्कि मजबूत सामाजिक ढांचे के लिए एक कानूनी साधन के रूप में होनी चाहिए।

कानूनी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

छात्रों को कानूनी पेशे के लिए प्रशिक्षित करना;

#वादकारियों की समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों को शिक्षित करने के साथ-साथ समाज की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित करना

#छात्रों को प्रभावी कानूनी नियमों के साथ और इन नियमों को लागू करने के लिए उन्हें पर्याप्त अनुभव प्रदान करने के लिए;

गरीब लोगो को निशुल्क विधिक सहायता देना

लोगो में विधिक चेतना जागृत करना

लोगो के मामले आपसी समझौते से निबटना

#नागरिको के मूल को सँरक्षित करना

3. कानूनी शिक्षा का महत्व

कानूनी शिक्षा स्वयं में एक व्यापक अवधारणा है। विधि की जानकारी सभी लोगो को होना जरूरी ही क्योकि कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी न होने का बचाव नहीं ले सकता है। यह कानून के समक्ष समानता की भावना को नियंत्रित करता है। बार और बेंच का मानक विधि स्कूल में दी गयी कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता और मानक का प्रतिबिंब है। कानूनी शिक्षा का महत्व कभी खत्म नहीं हो सकता है- लोकतांत्रिक समाज में इस पर जोर दिया जाता है। कानून को जानना सभी का आवश्यक कर्तव्य है। इस प्रकार, कानूनी शिक्षा न केवल कुशल वकील पैदा करती

है, बल्कि आम लोगो को अपने अधिकार व् कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है तथा मानवीय मूल्यों और अधिकारों के साथ नागरिकों के लिये कानून भी बनाती है।

4. भारत में कानूनी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

सरकारी नीति

बार काउंसिल ऑफ इंडिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

संबद्ध विश्वविद्यालय

कानूनी पेशे में विकास

संकाय की क्षमता और प्रतिबद्धता

अवसंरचना उपलब्ध

प्रौद्योगिकी प्रगति

शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विकास

समाज में बदलाव

5. कानूनी शिक्षा प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली में कमी

1. कानून संस्थान वर्तमान में सामान्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं, जिनके पास पहले से ही कला, विज्ञान और वाणिज्य का भार महाविद्यालयों पर है जिस कारण विश्वविद्यालय विधि विभाग पर ध्यान नहीं दे पाता है

2 निजी लॉ कॉलेजों मशरूम की तरह वृद्धि कर रहे हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है।

3 विधि कॉलेज में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है।

4. जीवन के हर राह पर असफल व्यक्ति तक हार कर क़ानून की डिग्री के लिए विधि कॉलेज में दखला ले लेता है जिस कारण llb की शिक्षा का स्तर काफी गिर फया है।

5.वर्तमान पीढ़ी के छात्र विधि के छेत्र नौकरी व् अनिश्चित भविष्य के कारण भी विधि की पढ़ाई पूरी तन्मन्यता से नहीं करते है छात्रों को नौकरी का अवसर देकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है।

6 कुछ कॉलेजों छात्रों को क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत विधि की शिक्षा को दिया गया है जिस कारण कानूनी शिक्षा में एक रूपता नहीं होती।

7.पारंपरिक शिक्षण विधियों का उपयोग कानूनी शिक्षा छात्रों को कक्षा में आने और बैठने के लिए आकर्षित नहीं करती है।

8 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति का अनुपात काफी खराब है

6 निष्कर्ष

भारत में कानूनी शिक्षा बहुत ही रोमांचक दौर से गुजर रही है। भारत में वकीलों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन ज्ञानी वकीलों की आवश्यकता समाज के जरूरत है । विधि स्नातकों के पास आज के दौर में काफी अवसर है लेकिन आवश्यक्ता है कि विधि के छात्र स्वयं को क़ानूनी शिक्षा में स्वयं को पारंगत करे ताकि विधि के छेत्र आने वाली चुनोतियो का सामना कर सके और भारत में कानूनी शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए नई पीढ़ी के विधि कॉलेजो की प्रमुख भूमिका है।

Source

http://www.legalservicesindia.com/article/1976/Legal-education-system-in-India.html

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/148922/5/05_chapter%203.pdf